पत्र संख्या-वाद-अनुभाग/परिपत्र /2024-25/ 1643 /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन-नोएडा।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उ0प्र0।

**(वाद-अनुभाग)** **लखनऊ::दिनांक:: 27 दिसम्बर,2024**

महोदय,

कृपया अपर आयुक्त ग्रेड-1, (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज के पत्र संख्या-4627 दिनांक-20/12/2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक-20.12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय के कक्ष संख्या-2 में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री वी०के० पाण्डेय को माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा अनेको मामले में आदेश के बाद भी प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा श्री वी० के० पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि भविष्य में यदि प्रतिवादी/विभाग द्वारा समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया तो प्रतिवादी/विभाग पर COST (व्यय) आरोपित किया जॉएगा साथ ही श्री वी०के० पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए प्रतिवादी/विभाग अधिकारी सुनवाई की अन्तिम तिथि में उपस्थित होते है. जिससे प्रतिशपथ पत्र की गुणवता प्रभावित होती है। अतः प्रतिवादी/विभागीय अधिकारी पर्याप्त समय रहते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु उपस्थित हो ।

अतः अपर आयुक्त ग्रेड-1,(उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज के पत्र संख्या-4627 दिनांक-20/12/2024 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से फील्ड के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वह पर्याप्त समय रहते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सकें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर, के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

**भवदीय,**

**(अमर नाथ यादव)**
अपर आयुक्त (विधि),राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।**

**प्रतिलिपि-1**-संयुक्त सचिव राज्य कर, अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर आयुक्त ग्रेड-1, (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज को उनके पत्र दिनांक-20/12/2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यलाय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

26.12.24

अपर आयुक्त (विधि),राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचनार्थ

प्रेषक,

अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) राज्य कर,
प्रयागराज ।

सेवा में,

आयुक्त, राज्य कर,
(वाद अनुभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक : 4627/अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) रा0क0 प्रयागराज, :20 दिसम्बर 2024

महोदय,

अवगत कराना है कि **आज दिनांक-20.12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय** के **कक्ष संख्या-2** में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बी0के0 पाण्डेय को माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक रुप से निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा अनेको मामले में आदेश के बाद भी प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा श्री बी0के0 पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मौखिक रुप से अवगत कराया गया है कि भविष्य में यदि प्रतिवादी/विभाग द्वारा समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया तो प्रतिवादी/विभाग पर COST (व्यय) आरोपित किया जॉएगा साथ ही श्री बी0के0 पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए प्रतिवादी/विभाग अधिकारी सुनवाई की अन्तिम तिथि में उपस्थित होते है, जिससे प्रतिशपथ पत्र की गुणवता प्रभावित होती है। अतः प्रतिवादी/विभागीय अधिकारी पर्याप्त समय रहते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु उपस्थित हो ।

अतः कृपया अपने स्तर से फील्ड के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि माननीय न्यायालय के समक्ष किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सकें ।

भवदीया,

(मोनू त्रिपाठी)
अपर आयुक्त ग्रेड–2 राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य)
राज्य कर, प्रयागराज।

पृ0प0सं0::: / व दिनांक::उक्त ।

**प्रतिलिपिः-**

1. संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग, उ0प्र0शासन सचिवालय लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त ग्रेड–2 राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य)
राज्य कर, प्रयागराज।

4553
23/12/2024

श्री उमेश